(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1343—तीन/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 9—3—2016 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 06/2015—16/निगरानी

.....

आजाद खां पुत्र दिलशाद खां
निवासी— अर्जुनगंवा तहसील व
जिला शिवपुरी हाल निवास वार्ड
कमांक 29 सहीसपुरा शिवपुरी म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— जालम आदिवासी पुत्र लालहंसी आदिवासी
2— कारे आदिवासी पुत्र लालहंसी अदिवासी
3— भोटा पुत्र सामलिया आदिवासी
4— रामचरण पुत्र फोसू आदिवासी
5— भूपत सिंह गुर्जर पुत्र मेहरबान सिंह रावत
निवासीगण ग्राम अर्जुनगांव तहसील व
जिला शिवपुरी म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री कुंअरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06/02/2017 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी जिला—शिवपुरी के आदेश दिनांक 9—3—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक ग्राम अर्जुनगंवा पटवारी हल्का ने 75 तहसील व जिला शिवपुरी में स्थिति भूमि सर्वे नं0 11 रकवा 0.050 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 16 रकवा 0.180 है0 सर्वे कमांक 17 रकवा 0.190 है0, सर्वे कमांक 18 रकवा 0.090 है0, सर्वे कमांक 19 रकवा 0.210 है0 सर्वे कमांक 19 रकवा 0.210 है0, सर्वे कमांक 20 रकवा 0.160 है0, सर्वे कमांक 23 रकवा 0.420 है0 का स्वामी है उक्त भूमि पर बनी पाटौर पर लगभग 4–5 माह पूर्व अनावेदकगण द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत कब्जा दिलाये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिवपुरी ने आदेश दिनांक 09–9–2015 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र प्रारंभिक तौर पर निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आदेश दिनांक 09–3–2016 आवेदक की निगरानी खारिज की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक ने विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय करने एवं नामांतरण के उपरांत सीमांकन कराया। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दिनांक 08–11–2005 को सीमांकन के पश्चात दिनांक 30–3–2010 को पुनः सीमांकन कराया गया जिसमें सीम चिन्ह लगाकर सीमांकित किया। यह भी तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक की भूमि जबरदस्ती कब्ज कर लिया। अनावेदकगण को शासन द्वारा पट्टे प्राप्त है परन्तु वहां न रहकर हमारी कय की हुई भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में दिनांक 09–9–15 को पेशी जबाव प्रस्तुत करने हेतु नियत थी परन्तु तहसीलदार ने कोई सुनवाई नहीं की और सीधे आदेश पारित कर आवेदकगण का मूल आवेदन पत्र ही खाजिर कर

दिया। अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत जो आवेदन तहसील न्यायालय में दिया गया था उसमें इंदिरागांधी आवास योजना के अंतर्गत कुटीर आवास योजना के अंतर्गत मंजूर होकर लॉन मिलने संबंधी झूठा एवं फर्जी आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और तहसीलदार द्वारा बिना किसी कूट परीक्षण के आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर द्वारा भी इन बिन्दुओं पर बिना विचार किय निगरानी निरस्त की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा विधिवत जबाव प्रस्तुत किया था जिसपर विस्तार से विवेचना कर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा उचित कार्यवाही की है जिसे अपर कलेक्टर द्वारा भी सही पाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण कमांक 30/2004–05/अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 11–7–05 के द्वारा कलेक्टर से विकय की अनुमति प्रदान की गई जिसके पश्चात आवेदक ने दिनांक 15–7–2005 को जगराम पुत्र कमलू आदिवासी भूमि कय की थी तथा भूमि कय करने के उपरांत नामांतरण पंजी कमांक 4 आदेश दिनांक 28–9–05 के द्वारा आवेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के पश्चात संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के जबाव हेतु पेशी दिनांक 9–9–15 नियत थी परन्तु उक्त दिनांक को तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक का जबाव प्राप्त किये मात्र राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर पटौर बने होने से

आवेदक का संहिता की धारा 250 का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पर आवेदक का जबाव प्राप्त न करते हुये सीधे मूल आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक की पटौर बनी है जिसपर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलार एवं अपर कलेक्टर सहित इस न्यायालय में अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कुटीर आवास योजना के अन्तर्गत प्रदाय किये गये पट्टे की छायाप्रति अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अनावेदकगण द्वारा जिस भूमि पर पटौर बनाई हैं वह शासन से उन्हें आवास योजना में प्रदान की गई थी। अभिलेख में उपलब्ध खसरों के अवलोनक से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमिस्वामित्व की होकर कृषि भूमि दर्ज है। तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर द्वारा इस प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होने संबंधी निष्कर्ष निकाले में त्रुटि की है क्योंकि यदि किसी भूमिस्वामी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कोई अतिक्रमण कर लिया जाता है तो उस पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदक की ओर से विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं करने का प्रश्न है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में विकय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खसरों की प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें नामांतरण का स्पष्ट उल्लेख है। यदि किसी पक्षकार द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर सीमांकन उपरांत अपनी भूमि से अवैध कब्जा हटाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है तो तहसीलदार को विधिवत उस कार्यवाही करनी चाहिए। यहा इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की है जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा भी त्रुटि की गई है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार शिवपुरी का आदेश दिनांक 9–9–15 एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 9–3–16 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की जाये तथा आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का अवैध अतिक्रमण हटाकर आवेदक को कब्जा वापस दिलायें तथा तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करें कि यदि अनावेदकगण को कुटीर आवास योजना के अंतर्गत पट्टे प्रदान किये गये हों तो अनावेदकगण को उनकी भूमि का कब्जा दिलाकर विधिअनुसार कार्यवाही करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर